न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 85/2020

मांगू पुत्र काना जाति मेघवाल (भांभी) उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम गोदियाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्योराम पुत्र पूरणमल जाति गुर्जर निवासी भैसा हरसी मालियों की बाडी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीः– एकपक्षीय

दिनांक 16/07/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955, एवं धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद पत्र में समय लगना स्वभाविक है इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी, कब्जे काश्त एव उपयोग–उपभोग की कृषि आराजी ग्राम गोदियाना पटवार क्षेत्र उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 1 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 02 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 रकबा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 360/3 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी काबिज काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के खेत में से अर्थात कृषि आराजी में से पक्की रोड़ गोदियाना से टिकावडा जा रही है जो राजस्व ट्रेस में दर्शित रास्ते में रोड़ न होकर प्रार्थी की आराजी में से जा रही है जो प्रार्थी का कुछ हिस्सा पुर्व में भी स्थित है अर्थात रोड़ के दोनो तरफ प्रार्थी की आराजी है जिसमें सतत् रूप से प्रार्थी काबिज काश्त करता आ रहा है एवं प्रार्थी अपनी आराजी में मकान व चारागाह निर्मित करके अधिवास करता आ रहा है। अप्रार्थी का उपरोक्त आराजी में किसी भी प्रकार से कोई हक–अधिकार निहित नहीं है फिर भी प्रार्थी की आराजी में लगी काटों की बाड़ को ध्वस्त करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 बिना किसी वैधानिक अधिकार के राजस्व ट्रेस में प्रार्थी की आराजी में से रास्ते के रूप में कच्ची तरमीम कर दी गयी है जो गलत है जबकी मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 104 कायम है इस कारण प्रार्थी की आराजी में से राजस्व ट्रेस में की गयी गलत इन्द्राज के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

कच्ची तरमीम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी आराजी में पशुओ के लिये चारागाह आदि बनाकर अधिवास योग्य बनाकर उपयोग–उपभोग कर रहा है एवं शेष भूमि पर कृषकीय कार्य करते है एवं चारो ओर मिट्टी की डोल डालकर उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त अधिवास व पशुओं व अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। प्रार्थी के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त, अधिवास में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के कृषकिय कार्य में व्यवधान, मदाखलत करने पर आमादा है एवं ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर एवं मौका पाकर उस मेडबन्दी/मिट्टी की डोल को ध्वस्त करने पर उद्धत है एवं अप्रार्थी संख्या 01 राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो प्रार्थी की आराजी में से जबरन काटों की बाड़ हटाकर अतिक्रमण करने लिये अवैधानिक कृत्य कर रहा है एवं प्रार्थी की आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जिस कारण माननीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करता आ रहा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई हित–अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 भू–माफीया गिरोह से सम्बन्ध रखता है। जो बिना किसी वैध अधिकार के वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, रहवास में मदाखलत कारीत करने पर आमादा रहते है। प्रार्थी अपनी एकल खातेदारी की भूमि पर अपने निहित हिस्से पर कृषकिय कार्य में व्यस्त था तभी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर प्रार्थी से लडाई–झगडा कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्य दिगर व्यक्तियों को साथ लेकर आया और प्रार्थी की आराजी से में लगी काटों की बाड़ को हटाकर अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गया तब प्रार्थी ने विरोध किया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धमकी दी की प्रार्थी की आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर अवैध अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गया इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करें एवं प्रार्थी के कृषकिय कार्य में एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने एवं मौके पर प्रार्थी की आराजी पर बाड़ को हटाकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है चुकि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी स्वयं की खातेदारी आराजी है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से लडाई–झगड़ा कर प्रार्थी को मौके से बेदखल देगा एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्य दिगर व्यक्तियों को साथ लेकर आता है एवं प्रार्थी की आराजी से में लगी काटों की बाड को हटाकर अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी प्रकार से कोई विधिक अधिकार नहीं है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने अवैध मन्सुबे में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से कि जाना सम्भव नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी, कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग की कृषि आराजी ग्राम गोदियाना पटवार क्षेत्र उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 1 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 02 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 रकबा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 360/3 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल खसरा 4

उपखण्ड अधिकारी

कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण फरमाया जावें की प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, कृषकिय कार्य में व्यवधान कारीत नहीं करे, प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें, अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं काटो की बाड को नहीं हटाये हेतु अप्रार्थीगण व अन्य दिगर व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण एवं नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि को पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.06.2020 को दर्ज किया गया तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाई गई। दिनाक 02.06.2025 तक भी अप्रार्थी संख्या 01, 02 अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्व दिनांक 02.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 02.06.2025 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 खाता संख्या 127 खसरा संख्या 01, 02, 03, 360/3 कुल किता 04 कुल रकबा 14 बीघा 13 बीस्वा भूमि में प्रार्थी का हक निहित है। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. 1955 के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गयाः–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी का वादअधीन भूमि में हक जाहिर है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर प्रार्थी खातेदारी के आधार पर काबिज काश्त है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मौके पर वादअधीन भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोदियाना पटवार हल्का उदयुपुरखर्द तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 01, 02, 03, 360/3 कुल किता 04 कुल रकबा 14 बीघा 13 बीस्वा भूमि में मौके की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी